10रु. 20रु. Rs.20 COURT FEE INDIA दस रु. बीस रुपये TWENTY RUPEES

विक्रापित

(161)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

निग 1960 - I-16

प्र0क0 –एक/2016 निगरानी

1– राजाराम पुत्र झल्लू यादव

2– जयराम पुत्र झल्लू यादव

दोनों निवासी ग्राम पहाड़ी तिवारन

तहसील टीकमगढ़

जिला टीकमगढ़ ,मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

1–मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर

2–रामलाल पुत्र रघु यादव

3– रामचरण पुत्र रघु यादव

दोनों निवासी ग्राम पहाड़ी तिवारन

तहसील व जिला टीकमगढ़ ---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 91/2008–098 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04–7–09 के विरुद्ध)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 1960-एक/2016 जिला-टीकमगढ़

राजाराम व अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जे.पी. नायक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 91/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04-07-2009 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-06-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

11.1.19

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.1.19
सदस्य